

4/5/17

ककील वादी उपस्थित। प्रथम पत्र मनु के साथ. केश
मूल वाद स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने पर खारिज
किया गया इसलिए प्रथम पत्र उभाय भुज्य हो गया
है। यह कार्यवाही प्रथम पत्र श्रेय की जाती है। मिला
पैसल सुधार होकर नम्बर से काग हो।

उपखण्ड अधिकारी
बसुदा (अजमेर)

